सं0सं0–7 / उपकेन्द्र–13–01 / 2018– 14(7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक 12-06-2018

विषयः– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–101– स्वास्थ्य उपकेन्द्र–0003–स्वास्थ्य उपकेन्द्र विपत्र कोड– 20–2210031010003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹22,22,70,000/– (बाईस करोड़ बाईस लाख सत्तर हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–2019 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹22,22,70,000/– (बाईस करोड़ बाईस लाख सत्तर हजार) मात्र का आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक–2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–101–स्वास्थ्य उपकेन्द्र–0003–स्वास्थ्य उपकेन्द्र विपत्र कोड– 20–2210031010003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ संबंधित स्वास्थ्य उपकेन्द्र में कार्यरत बल के आधार पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को नियमित व्यय हेतु उप आवंटन एक मुश्त में करेगें। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

6. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी ।

7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

9. स्थायी पद के विरूद्ध नियुक्त कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

10. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

11. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

12/6/18

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 14(7)0 पटना, दिनांक : 12-06-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी--7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

12/6/18
सरकार के विशेष सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2018–2019 में बिहार स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	योग वेतन	यात्रा भत्ता (11–01)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	पटना	12000000	1800000	1680000	720000	16200000	30000	16230000
2	भोजपुर (आरा)	4000000	600000	560000	240000	5400000	30000	5430000
3	बक्सर	2300000	345000	322000	138000	3105000	30000	3135000
4	कैमूर	2300000	345000	322000	138000	3105000	30000	3135000
5	रोहतास	5000000	750000	700000	300000	6750000	30000	6780000
6	नालन्दा	5000000	750000	700000	300000	6750000	30000	6780000
7	गया	6000000	900000	840000	360000	8100000	30000	8130000
8	जहानाबाद	3000000	450000	420000	180000	4050000	30000	4080000
9	नवादा	4000000	600000	560000	240000	5400000	30000	5430000
10	वैशाली	6000000	900000	840000	360000	8100000	30000	8130000
11	मुजफ्फरपुर	6000000	900000	840000	360000	8100000	30000	8130000
12	पश्चिमी चंपारण	6000000	900000	840000	360000	8100000	30000	8130000
13	पूर्वी चंपारण	6000000	900000	840000	360000	8100000	30000	8130000
14	सीतामढ़ी	6000000	900000	840000	360000	8100000	30000	8130000
15	शिवहर	3400000	510000	476000	204000	4590000	30000	4620000
16	सारण	6000000	900000	840000	360000	8100000	30000	8130000
17	सिवान	6000000	900000	840000	360000	8100000	30000	8130000
18	गोपालगंज	6000000	900000	840000	360000	8100000	30000	8130000
19	दरभंगा	6000000	900000	840000	360000	8100000	30000	8130000
20	समस्तीपुर	6000000	900000	840000	360000	8100000	30000	8130000
21	पूर्णिया	4000000	600000	560000	240000	5400000	30000	5430000
22	कटिहार	3400000	510000	476000	204000	4590000	30000	4620000
23	मुंगेर	3400000	510000	476000	204000	4590000	30000	4620000
24	लखीसराय	1800000	270000	252000	108000	2430000	30000	2460000
25	शेखपुरा	1800000	270000	252000	108000	2430000	30000	2460000
26	बेगुसराय	1800000	270000	252000	108000	2430000	30000	2460000
27	जमुई	1800000	270000	252000	108000	2430000	30000	2460000
28	खगड़िया	1800000	270000	252000	108000	2430000	30000	2460000
29	भागलपुर	1800000	270000	252000	108000	2430000	30000	2460000
30	बाँका	1800000	270000	252000	108000	2430000	30000	2460000
31	सहरसा	5000000	750000	700000	300000	6750000	30000	6780000
32	मधेपुरा	6000000	900000	840000	360000	8100000	30000	8130000
33	सुपौल	5000000	750000	700000	300000	6750000	30000	6780000
34	अरवल	2300000	345000	322000	138000	3105000	30000	3135000
35	मधुबनी	6000000	900000	840000	360000	8100000	30000	8130000
36	किशनगंज	2300000	345000	322000	138000	3105000	30000	3135000
37	औरंगाबाद	3400000	510000	476000	204000	4590000	30000	4620000
38	अररिया	3400000	510000	476000	204000	4590000	30000	4620000
	कुल	163800000	24570000	22932000	9828000	221130000	1140000	222270000

(बाइस करोड़ बाइस लाख सत्तर हजार) रू0 मात्र

14(7)6
12-06-18

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	वर्तमान आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	वेतन (0003–01–01)	320000000	163800000	156200000
2	जीवन यापन भत्ता (0003–01–03)	48000000	24570000	23430000
3	मकान किराया भत्ता (0003–01–04)	51200000	22932000	28268000
4	चिकित्सा भत्ता (0003–01–06)	28800000	9828000	18972000
	योग 20-2210.03.101.0003.01 वेतन	**448000000**	**221130000**	**226870000**
5	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0003–06–01)	1900000	0	1900000
6	यात्रा व्यय (0003–11–01)	2800000	1140000	**1660000**
7	विधि प्रभार (0003–13–05)	1000	0	**1000**
8	किराया महसूल एवं कर (0003–14–01)	**2500000**	0	**2500000**
9	प्रशिक्षण व्यय (0003–20–03)	10700000	0	**10700000**
10	अनुरक्षण एवं मरम्मत(0003–27–02)	1000	0	1000
	कुल योगः–	**465902000**	**222270000**	**243632000**

14(7)a
12-06-18

[signature] 12/6/18
सरकार के विशेष सचिव